DR. KANIMOZHI N.V.N. SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu):Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री उपसभापति: श्री सतीश चंद्र दूबे जी।

Need to provide age relaxation and fee concession to aspirants of Economically Weaker Sections for applying to various Government jobs

श्री सतीश चंद्र दूबे (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का काम ईडब्लूएस कोटे के तहत किया। इस कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर, जिन्हें उम्र की छूट है, उसमें एससी/एसटी को पांच साल की छूट, ओबीसी को तीन साल की छूट है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल की है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष तय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए तथा अभ्यर्थियों पर लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत दी जाए, ताकि सबका साथ, सबका विकास का नारा पूरा हो सके।

महोदय, ईडब्लूएस में जो 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, इसको तो पूर्व की सरकारें भी कर सकती थीं, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन गरीब सवर्ण अभ्यार्थियों पर भी ध्यान दिया और उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूं कि इस पर भी ध्यान देते हुए, उन लोगों को भी आवेदन शुल्क और उम्र सीमा में रियायत दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

LT. GEN. (DR.) D. P. VATS (RETD.) (Haryana): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Need to set up specialized Medical Tribunal to deal with medical disputes

DR. KANIMOZHI N.V.N. SOMU (Tamil Nadu): Sir, Article 323 (B) of the Indian Constitution deals with the establishment of tribunals for other matters and Article 323 (A) of the Indian Constitution deals with the administrative tribunals. Many cases are emerging in the medical sector which need quick reddressel.There are a lot of medical issues that happen in hospitals, clinics and also the offences done by the medical practitioners. In India, there are many tribunals for solving the cases on particular organizations or institutions, but there is no tribunal for medical offences. Till today, the offences that take place in the medical sectors will ultimately go to the